प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 24 अप्रैल, 2016**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक अनुमान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 05 माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान रू0 3193.91 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-73/एफ-31(7)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2017-18, दिनांक-07.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक अनुमान में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 86,25,38,000.00 (रूपये छियासी करोड पच्चीस लाख अड़तीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम 05 माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान रू0 35,93,91,000.00 (रूपये पैंतीस करोड़ तिरानबे लाख इक्यानबे हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- निर्मित सम्पर्क मार्गों का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4- धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सडकें-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-03-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण-0301-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-19/2017/ पी-222(1)/अड्तीस-9-2017, तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।